राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

एफ. 2(1) कार्मिक/क–2/2003 **जयपुर, दिनांक : 9.07.2018**

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नये नियम 26क का अतंःस्थापन.– राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है के विद्यमान नियम 26 के पश्चात् और विद्यमान नियम 27 से पूर्व निम्नलिखित नया नियम 26क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"26क हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति.– इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हेड कांस्टेबल का पद पदोन्नति की निम्नलिखित रीतियों से भरा जायेगा, अर्थात्:–

(क) रिक्तियों का 50%, वरिष्ठता और सेवा अभिलेख के आधार पर की गयी स्क्रीनिंग द्वारा नियम 27 के उप–नियम (3) के खण्ड (कख) में विनिर्दिष्ट रीति में भरा जायेगा; और

(ख) रिक्तियों का 50%, नियम 27 के उप–नियम (1) के अधीन अधिकथित प्रकिया के माध्यम से भरा जायेगा:

परन्तु वर्ष 2018–19 में सृजित हेड कांस्टेबलों के पद, कांस्टेबल के पदों में से, 100% पदोन्नति द्वारा, वरिष्ठता और सेवा अभिलेख के आधार पर की गयी स्क्रीनिंग द्वारा, नियम 27 के उप–नियम (3) के खण्ड (कख) में विनिर्दिष्ट रीति से, भरे जायेंगे।"

3. नियम 27 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 27 में,–

(i) उप–नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "नियम 10 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का अवधारण हो जाने के पश्चात्" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठता और सेवा

9/7/2018

अभिलेख के आधार पर की गयी स्क्रीनिंग द्वारा भरी जाने वाली हेड कांस्टेबल की रिक्तियों को छोड़कर, पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के पश्चात्" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप–नियम (3) के विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व निम्नलिखित नये खण्ड (कक) और (कख) अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:–

"**(कक)** स्क्रीनिंग समिति का गठनः–

(i) पुलिस महानिरीक्षक;	–अध्यक्ष
(ii) संबंधित जिले / यूनिट का पुलिस अधीक्षक / कमाण्डेंट; और	–सदस्य
(iii) महानिदेशक, पुलिस द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, संबंधित रेंज से बाहर का एक पुलिस अधीक्षक / अपर पुलिस अधीक्षक।	–सदस्य

(कख) स्क्रीनिंग समिति द्वारा अपनायी गयी चयन प्रकियाः

उपरोक्त खण्ड (कक) के अधीन गठित स्क्रीनिंग समिति, अनुसूची–I में यथा विनिर्दिष्ट 18 वर्ष या अधिक की सेवा वाले समस्त पात्र कांस्टेबलों के मामलों पर विचार करेगी तथा वरिष्ठता और सेवा अभिलेख के आधार पर ऐसी सूची तैयार करेगी जैसी की विहित की जाये"; और

(iii) विद्यमान उप–नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(5) उप–नियम (3) के अधीन विभिन्न बोर्डों द्वारा तैयार की गयी सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों जिनमें नियम 28 के अधीन नामनिर्दिष्ट और स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीन किये गये अभ्यर्थी सम्मिलित हैं से, विहित किये गये पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के अनुसार नामनिर्दिष्ट किया जायेगाः

परन्तु उपरोक्त उप–नियम (3) के खण्ड (कख) के अधीन स्क्रीनिंग के द्वारा सिफारिश किये गये कांस्टेबलों से पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी, किन्तु उन्हें अर्हक परीक्षा से छूट दी जायेगीः

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो ऐसे कारणों से, जो उनके नियन्त्रण से परे हों, पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके हों या उसे पूरा नहीं कर सके हों, वरिष्ठता की कोई हानि को उपगत किये बिना अगले पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

९/३/२०१९

स्पष्टीकरणः यदि इस बात पर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई अभ्यर्थी जो उसके नियन्त्रण से परे के कारणो से पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए आगे क्यों नहीं बढ सका या उसे पूर्ण क्यों नहीं कर सका, तो उस पर, उस पद, जिसके लिए पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम पूरा किया जाना है, के नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।"

4. अनुसूची–I का संशोधन.– उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–I में,–

(क) शीर्ष–**अनुभाग–I, सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, आसूचना शाखा और दूर–संचार निदेशालय की जनरल ड्यूटी शाखा (ऑपरेटरों/तकनीशियनों से भिन्न)** के उप–शीर्ष **वरिष्ठ पद** के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 4 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"

4.	हेड कांस्टेबल	100% पदोन्नति द्वारा जिसमें से,– (i) 50% स्क्रीनिंग द्वारा; और (ii) 50% अर्हक परीक्षा द्वारा।	–	कांस्टेबल	(i) कांस्टेबल के रूप में 18 वर्ष की लगातार सेवा। (ii) कांस्टेबल के रूप में 5 वर्ष की लगातार सेवा या यदि स्नातक हो तो कांस्टेबल के रूप में 3 वर्ष की लगातार सेवा।	–

"

(ख) शीर्ष–**अनुभाग–II, एम.बी.सी. के उप–शीर्ष वरिष्ठ पद** के अधीन विद्यमान क्रम संख्याक 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"

3.	हेड कांस्टेबल	100% पदोन्नति द्वारा जिसमें से,– (i) 50% स्क्रीनिंग द्वारा; और (ii) 50% अर्हक परीक्षा द्वारा।	–	कांस्टेबल	(i) कांस्टेबल के रूप में 18 वर्ष की लगातार सेवा। (ii) कांस्टेबल के रूप में 5 वर्ष की लगातार सेवा या यदि स्नातक हो तो कांस्टेबल के रूप में 3 वर्ष की लगातार सेवा।	–

9/7/2018

''

(ग) शीर्ष— **अनुभाग—III, पुलिस दूर संचार के उप—शीर्ष वरिष्ठ पद** के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 12,13 और 14 तथा उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

''

12.	हेड कांस्टेबल तकनीशियन	100% पदोन्नति द्वारा जिसमें से,— (i) 50% स्क्रीनिंग द्वारा; और (ii) 50% अर्हक परीक्षा द्वारा।	—	कांस्टेबल तकनीशियन	(i) कांस्टेबल के रूप में 18 वर्ष की लगातार सेवा। (ii) कांस्टेबल के रूप में 5 वर्ष की लगातार सेवा या यदि स्नातक हो तो कांस्टेबल के रूप में 3 वर्ष की लगातार सेवा।	—
13.	ऑपरेटर/ तकनीशियन से भिन्न हेड कांस्टेबल	100% पदोन्नति द्वारा जिसमें से,— (i) 50% स्क्रीनिंग द्वारा; और (ii) 50% अर्हक परीक्षा द्वारा।	—	ऑपरेटर/ तकनीशियन से भिन्न कांस्टेबल	(i) कांस्टेबल के रूप में 18 वर्ष की लगातार सेवा। (ii) कांस्टेबल के रूप में 5 वर्ष की लगातार सेवा या यदि स्नातक हो तो कांस्टेबल के रूप में 3 वर्ष की लगातार सेवा।	—

9/7/2016

14.	हेड कांस्टेबल ऑपरेटर	100% पदोन्नति द्वारा जिसमें से,– (i) 50% स्क्रीनिंग द्वारा; और (ii) 50% अर्हक परीक्षा द्वारा।	–	कांस्टेबल ऑपरेटर	(i) कांस्टेबल के रूप में 18 वर्ष की लगातार सेवा। (ii) कांस्टेबल के रूप में 5 वर्ष की लगातार सेवा या यदि स्नातक हो तो कांस्टेबल के रूप में 3 वर्ष की लगातार सेवा।	

"

(घ) शीर्ष–**अनुभाग–IV, राजस्थान सशस्त्र पुलिस के उप–शीर्ष वरिष्ठ पद** के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"

3.	हेड कांस्टेबल	100% पदोन्नति द्वारा जिसमें से,– (i) 50% स्क्रीनिंग द्वारा; और (ii) 50% अर्हक परीक्षा द्वारा।	–	कांस्टेबल	(i) कांस्टेबल के रूप में 18 वर्ष की लगातार सेवा। (ii) कांस्टेबल के रूप में 5 वर्ष की लगातार सेवा या यदि स्नातक हो तो कांस्टेबल के रूप में 3 वर्ष की लगातार सेवा।	–

"

9/7/2018

(ड़) शीर्ष–**अनुभाग–V, आसूचना शाखा के उप–शीर्ष वरिष्ठ पद** के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 4 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"

4.	हेड कांस्टेबल	100% पदोन्नति द्वारा जिसमें से,– (i) 50% स्क्रीनिंग द्वारा; और (ii) 50% अर्हक परीक्षा द्वारा।	–	कांस्टेबल	(i) कांस्टेबल के रूप में 18 वर्ष की लगातार सेवा। (ii) कांस्टेबल के रूप में 5 वर्ष की लगातार सेवा या यदि स्नातक हो तो कांस्टेबल के रूप में 3 वर्ष की लगातार सेवा।	–

"; और

(च) शीर्ष–**अनुभाग– VI, राजस्थान उद्योग सुरक्षा बल के उप–शीर्ष वरिष्ठ पद** के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"

3.	हेड कांस्टेबल	100% पदोन्नति द्वारा जिसमें से,– (i) 50% स्क्रीनिंग द्वारा; और (ii) 50% अर्हक परीक्षा द्वारा।	–	कांस्टेबल	(i) कांस्टेबल के रूप में 18 वर्ष की लगातार सेवा। (ii) कांस्टेबल के रूप में 5 वर्ष की लगातार सेवा या यदि स्नातक हो तो कांस्टेबल के रूप में 3 वर्ष की लगातार सेवा।	–

"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सुनील शर्मा) 1/3/2018

संयुक्त शासन सचिव

41/2018